अभियंता प्रमुख का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन,
बेली पथ पटना–800015

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विश्वेश्वरैया भवन, बेली पथ, पटना–800015 के अन्तर्गत प्रधान सचिव के कक्ष के लिए 1.50T का दो Cassette A/C (2x2) एवं परामर्शी कक्ष के लिए 1.50T का तीन Cassette A/C (2x2) क्रय (सभी Asseseries, Stablizer एवं Instolation सहित) क्रय करने हेतु निर्माता/आपूर्तिकर्ता/अधिकृत एजेंसी (LG/Carriage/Voltas अथवा समकक्ष) वाले संवेदकों से दर उद्धरण मुहरबंद कोटेशन दिनांक–30 मार्च 2017 अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को अपराह्न 3:30 बजे कोटेशन दाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

उक्त कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी, रूपरेखा एवं अन्य सूचनाएँ किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/ बेबसाईट www.rcd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

कोटेशन की आवश्यक शर्त्तें :–

1. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग अलग लिफाफा में सील बन्द की जाएगी एवं लिफाफा के उपर तकनीकी बीड/वित्तीय बीड स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात् एक बड़े लिफाफा में दोनों बीड (तकनीकी एवं वित्तीय) को सील बन्द किया जाएगा। सभी लिफाफा में कार्य का नाम एवं कोटेशनदाता का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। तकनीकी बीड के साथ अग्रधन के रूप में रूपया 10000.00 का बैक ड्राफ्ट, जो अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के नाम से निर्गत एवं पटना स्थित शाखा में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
2. कोटेशन के साथ निम्न कागजात समर्पित करना अनिवार्य है:–
   - (क) जमानत का मूल्य के रूप में रू० 10000/– का बैंक ड्राफ्ट जिसकी संख्या एवं राशि कोटेशन प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
   - (ख) अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र/पैन कार्ड का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। यह भी अंकित करना अनिवार्य है कि संबंधित प्रतिष्ठान प्रोप्राईटरी सीप अथवा पार्टनर सीप अथवा कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। इसी के अनुसार पैन कार्ड का होना आवश्यक है। सिर्फ प्रोप्राईटरी सीप फर्म के लिए ही नीजि पैन कार्ड मान्य होगा।
   - (ग) अद्यतन वाणिज्यकर/बैट निबंधन प्रमाण पत्र तथा वर्ष 2015–16 का सेल्स टैक्स/बैट अदायगी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
   - (घ) संबंधित निर्माणकर्त्ता कम्पनी के द्वारा प्राधिकृत प्रतिष्ठान ही इसमें भाग ले सकते हैं। संबंधित कम्पनी का authorisation प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (ड़) कोटेशनदाता को नन जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया यह शपथ पत्र देना होगा कि किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में वे काली सूची में दर्ज नहीं हैं तथा दी गई सभी सूचनाएँ सही है।
3. कोटेशनदाता द्वारा निविदित (Quoted) दर सभी देय करों सहित होगा।
4. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश के तीन (03) कार्यदिवसों के अन्दर सामग्री निश्चित रूप से पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय तक पहुँचाना अनिवार्य होगा।

5. अनुमान्य गुणवत्ता से कम गुणवत्ता रखने अथवा ससमय आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करने की [illegible] संबंधित प्रतिष्ठान/फर्म को काली सूची में डालने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

6. आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्री का दर सभी कर सहित होगा एवं आपूर्तिकर्ता सभी कर संबंधित विभाग में जमा करने हेतु स्वयं जिम्मेवार होगें।

7. आपूर्त्ति किए गए सामग्रियों की गुणवत्ता विहित गुणवत्ता के अनुरूप पाए जाने पर ही नियमानुसार सभी कटौतियों के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

8. विहित गुणवत्ता, मेक एवं निर्धारित अवधि पर सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं किए जाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा इसी दर पर अन्य आपूर्त्तिकर्त्ता से आपूर्त्ति लेने की स्वतन्त्रता होगी। सामग्रियों का आपूर्त्ति संबंधित कार्यालय में ली जाएगी तथा परिवहन हेतु कोई राशि देय नहीं होगा।

9. सामग्रियों की आपूर्त्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।

10. क्रय समिति को बिना कोई कारण बताए किसी भी कोटेशन को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

11. आपूर्त्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची, उनका विशिष्टि, मोडेल, मेक, साईज, नमूने, गुणवत्ता इत्यादि की विस्तृत जानकारी हेतु कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। कोटेशन से सभी संबंधित विस्तृत सूचना, शर्त्तें एवं कोटेशन हेतु विहित प्रपत्र अवर सचिव (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली पथ, पटना–800015 के कार्यालय में (कार्य अवधि में) लिखित आवेदन देकर प्राप्त की जा सकती है अथवा विभागीय बेब साईट www.rcd.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है से download कर व्यवहार की जा सकती है।

12. उक्त के अनुसार सील बन्द लिफाफा में कोटेशन दिनांक–30.03.2017 को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन यानि 30.03.2017 को 3:30 बजे अपराह्न में कोटेशनदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी बीड खोली जाएगी। डाक/मेल अथवा अन्य माध्यम से कोटेशन प्राप्त नहीं किया जायेगा/अमान्य कर दिया जाएगा।

13. किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया को अमान्य करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

14. नियमानुसार MSME द्वारा उत्पादित सामग्रियों के क्रय हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

15. लघु उद्योग करने वाले निबंधित उद्यमियों को अग्रधन के रूप में ली जाने वाली राशि में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

16. निविदादाता को बिहार सरकार अन्तर्गत किसी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं होने का स्वघोषणा (फर्म के पैड पर) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

17. इस निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का वैधानिक मामले का निपटारा पटना स्थित न्यायालय में ही किया जा सकता है।

23/3/17

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/स्था०–सामग्री–17–11/2010 2744 (S) पटना, दिनांक 23.3.17

प्रतिलिपि– पाँच प्रतियों एवं सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित। कृपया बिहार, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय तथा अपने वेबसाइट पर इसे अपलोड करना चाहेंगें।

23/3/17

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/स्था०–सामग्री–17–11/2010 2744–(S) पटना, दिनांक 23-3-17

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री बी०एन० प्रसाद, संयुक्त उद्योग निदेशक (तकनीकी), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक (क्रय एवं परिवहन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, सदस्य, क्रय समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

23/3/17

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/स्था०–सामग्री–17–11/2010 2744–(S) पटना, दिनांक 23-3-17

प्रतिलिपि– मुख्य अभियंता (या०) दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (या०) उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/निदेशक, TRI, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

23/3/17

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/स्था०–सामग्री–17–11/2010 2744–(S) पटना, दिनांक 23-3-17

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

23/3/17

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/स्था०–सामग्री–17–11/2010 2744–(S) पटना, दिनांक 23-3-17

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता (अनु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री रविकान्त, सहायक अभियंता (अनु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सीडी के साथ वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

23/3/17

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

23.03.17